

17⁶/₂₅ पत्रावली पेश। वकील वादी व वादी को आवाज
लगाई गई। बार-बार आवाज लगाने के
बावजूद भी वकील वादी व वादी न्यायालय
में हाजिर नहीं होने पर वादी का वाद
अदम हाजरी अदम परेवी में खारीज
किया जाता है। पत्रावली फेरल नुमार
९ नम्बर से कम होकर दाखिल
दफ्तर हो। Signature

उपस्थण्ड अधिकारी
दंतारामगढ (सीकर)